रणजीत कौर बनाम दौलत राम व अन्य
विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022

12/4/22 पत्रावली पेशी हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम समाहित की जा चुकी है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि चक 31 जी जी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24/31 के मुरब्बा नं0 2 के किला नं0 6/2 की 0.026 है0 व किला नं0 6/6 की 0.030 है0 कुल 0.056 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान की एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने मुरब्बा नं0 2 के 0.026 है0 रकबा आवासीय घोषित करवाकर खाता संख्या 24/31 मुरब्बा नं0 2 का किला नं0 6/2 की 0.026 है0 मैर मुमकिन आवासीय एवं इसी मुरब्बा के किला नं0 6/6 की 0.030 है0 नहरी जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 26.02.2016 को प्रार्थीया को विक्रय किया। उपरोक्त रकबा वर्तमान में खाता संख्या 60/26 के रूप में प्रार्थीया के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया उपरोक्त भूमि में से 0.026 है0 आवासीय व 0.030 है0 नहरी की मालिक व खातेदार है। अप्रार्थी सं0 1 के मन में बदनीति आ गई तथा वह उपरोक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है उसने अप्रार्थी सं0 1 के साथ मिलकर प्रार्थीया की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की योजना बना रखी है तथा प्रयासरत है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 2 को कहा कि जब आपने भूमि प्रार्थीया को विक्रय कर दी है तो कब्जा क्यों करना चाहते हो, इस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि मैंने जब भूमि बेची थी तो उस वक्त भाव कम थे जबकि अब जमीनों के भाव दोगुने हो चुके है। प्रार्थीया ने कुछ समय पूर्व पुलिस में भी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पुलिस ने अप्रार्थीगण को बुलाकर कहा कि प्रार्थीया के पास रजिस्टर्ड बैयनामा है व जमीन भी उसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज साक्ष्य प्रारूप 03 मय बैयनामा दिनांक 26.07.2008, बैयनामा दिनांक 26.02.2016, बैयनामा दिनांक 14.01.2011, बैयनामा दिनांक 05.04.2019, बैयनामा दिनांक 04.04.2019, बैयनामा दिनांक 29.08.2007 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2065–68, जमाबन्दी सम्वत् 2069–72, जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 तथा इन्तकाल संख्या 564 दिनांक 28.09.2016 एवं संपरिवर्तन आदेश 26.09.2011, संपरिवर्तन आदेश 09.02.2012 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला दावा कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत RRT 2002 PAGE 897, RRT 2005 PAGE 1465, RRT 2007 PAGE 27, RRT 2011 PAGE 295, RRD 29 प्रस्तुत किये।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये कथन किये कि चक 31 जी जी के खाता संख्या 60/26 के मुरब्बा नं0 2 के किला नं0 6/2 की 0.026 है0 आवासीय तथा किला नं0 6/6 की 0.30 है0 नहरी में मेरा नाम ही नहीं है तथा रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट को है राजस्व कोर्ट को नहीं है। वादग्रस्त रकबा अप्रार्थी संख्या 01 ने कभी भी मुझे बेचान नहीं किया है अप्रार्थी संख्या 01 दौलतराम अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि मन अप्रार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हूं। अप्रार्थी संख्या 01 ने मुझे कृषि भूमि बेचान नहीं की है मुझ अप्रार्थी सं0 2 ने विवादित रकबा जरिये बैयनामा पवन जोग से खरीद किया था जिसका ईन्तकाल सं0 376 पर दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 से कृषि भूमि खरीद ही नहीं की इसलिये कब्जा करने का सवाल ही नहीं प्रार्थीया क्लीन हैण्ड से नहीं आयी है। वास्तविकता यह है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर की अपील संख्या– 29/2019 ब अनवानी दौलतराम आदि बनाम बलदेव आदि में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2021 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 भी निरस्त किया जाकर इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 23.08.2011 भी निरस्त करके प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया है। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मन अध्ययन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित तीनों बिन्दुओं– 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूर्णीय क्षति पर विचारण किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित अराजी में से मुरब्बा नं0 2 के किला नं0 6/2 की 0.026 है0 कृषि भूमि गैर मुमकिन आवासीय किस्म की है। राजस्व न्यायालयों को केवल कृषि भूमि से संबंधित वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। शेष वादाधीन भूमि मुरब्बा नं0 2 के किला नं0 6/6 की 0.30 है0 आराजी है जो कि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 दौलतराम अनुसूचित जाति का सदस्य है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में यह भी अभिस्वीकार किया है कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 दौलतराम ने अप्रार्थी संख्या 2 नरेन्द्र कुमार को बेचान की है। अप्रार्थी संख्या 2 नरेन्द्र कुमार अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 नरेन्द्र कुमार से प्रश्नगत आराजी प्रार्थीया ने खरीद करना स्वीकार किया है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी से संबंधित माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर की अपील संख्या 29/2019 बअनवानी दौलतराम आदि बनाम बलदेव आदि में निर्णय दिनाक 17.09.2021 के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को रिमांड किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों को छुपाया गया है। जिसमें यह साबित है कि प्रार्थी Clean hand से उपस्थित नहीं हुआ है एवं तथ्य छुपाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.02.2022 खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद संख्या 14/2022 अनवान रणजीत कौर बनाम दौलतराम व अन्य रहे।

उम्मेद सिंह
(R.A.S)
सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्ड
(फास्ट ट्रेक) श्रीगं